

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक २१६२ / सा०सु०को०,

प्रेषक-

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक ०६/०७/१३ /
चालू वित्तीय वर्ष-२०१३-१४ में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
(विशेष घटक) में पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु द्वितीय किस्त कुल रु०-
१,२०,९००=०० (एक लाख बीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र का उपावटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार- पटना के पत्र सं०-०१/सा०सु० बजट-ई०गा०रा०नि०पें०-१३/२०१३-
स०क०-३४ पटना, दिनांक-२८/०६/२०१३

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक-१७.०४.९८ एवं ७७२९
दिनांक-२६.०७.२०१२ में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं०-१००१ दिनांक-१४.०५.२०१३ के आलोक
में पेंशनधारियों को द्वितीय किस्त नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-५ के अनुसार कुल रु० १,२०,९००=००
(एक लाख बीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र का उपावटित किया जाता है।

- २- उपावटित राशि माँग सं०-५१, मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-०३-राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-०१०३-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय
निःशक्तता पेंशन योजना, विषय शीर्ष-३१ ०६- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड
संख्या-p-२२३५०३७८९०१०३ तथा स्कीम कोड-WEL-५४९९ से विकलनीय होगा।
- ३- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- ४- जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- ५- उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध
करायी जाय।
- ६- उपावटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (विशेष धटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार द्वितीय उपावंटन तालिका:-

क0	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	5	3000	3000	6000
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	15	9000	4500	13500
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	2	1200	600	1800
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैलाढ़	1	600	600	1200
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	7	4200	2100	6300
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	8	4800	2400	7200
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	9	5400	2700	8100
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	199	12800	75000	87800
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	12	7200	3600	10800
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	33	19800	9900	29700
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	0	0	0	0
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	38	9900	13200	23100
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	1	1200	300	1500
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	0	0	3000	3000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	0	0	0	0
	कुल योग :-	330	79100	120900	200000

मो0 (एक लाख बीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।